Shrimati Jyotsna Chanda (Cachar): In view of the concentration of Pakistani troops in the border, may I know from the Government whether Government proposes to shift the residents who are in the border, most of them belong to minority community, to stop methods of infiltration and sabotage particularly in Cachar-Goalpara borders?

Shri Y. B. Chavan: We do not want to take any action which will create panic in the minds of our people but steps which are necessary for the security of our defence will certainly be taken and are being taken.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : भारतीय प्रधान मंत्री के शब्दों में जिस प्रकार धीरे धीरे गर्मी बढ़ती आती जा रही है, पाकिस्तान के हथियारों में भी उसी प्रकार गर्मी बढ़ती जा रही है। सुना जाता है कि कल कच्छ में पाकिस्तान ने अपने आक्रमण को और अधिक तेज कर दिया है। संरक्षण मंत्री ने कल कहा था कि जम्मू-काश्मीर में पहले से अधिक घटनायें बढ़ गई हैं। अब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के बारे में बताया है। शायद कल-परसों वह लाहौर और अमृतसर की घटनाओं का भी इसी प्रकार विवरण दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संरक्षण मंत्री इस 48 करोड़ के देश को इस लोक सभा के बीच केवल अशुभ समाचारों की सूचना ही देते रहेंगे या कोई वह समय भी जल्दी आयेगा, जब वह हम को शुभ समाचार भी सुनायेंगे।

Shri Y. B. Chavan: It is a suggestion of Prakash Vir Shastriji and I have taken note of it.

Mr. Speaker: Papers to be laid.

12.28 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT (Query)

Shri Daji (Indore): Sir I have given a call-attention notice on the arrest of the Jamshedpur workers. There is no assembly in Delhi and the Parliament is the only forum where we can raise it.

Mr. Speaker: Order, order. He should not take it up in this manner.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): May we come and speak to you? Because, this is very important. There have been so many arrests. Only because he happens to be a worker of the Tatas, he is arrested . . . (*Interruptions.*)

Mr. Speaker: I will not be prepared to answer in this manner. I assure the hon. Members of one thing.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और काम-रोको प्रस्ताव दिये हैं और आप बराबर उनको अस्वीकार करते जा रहे हैं। ये बहुत राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं। या तो आप उन को यहां पर पढ़ कर सुनाइये और सदन उन पर फैसला करे या आप अपने विवेक से फैसला कर के उन को यहां रखिए, ताकि उन पर मुकम्मल बहस हो पाये।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी सुन लीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बर साहबान पहले बैठे हैं, जब मैं ने उन को इजाजत नहीं दी है, तो मैं आप को कैसे इजाजत दूंगा ?

श्री बागड़ी : यह मुझे पता है कि आप इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन अगर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मेम्बर यहां पर अपनी बात कह रहा है, तो मुझे भी अपनी बात कह लेने दीजिए।

मैं यह बात सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि यहां पर जबान से कुछ कहने

[श्री बागड़ी]

से मजा आता है, बल्कि इसलिए कि शायद वह आवाज लोक सभा से निकल कर जनता तक पहुंचे और उस से देश का हित हो सके। इसलिए मैं यह बात उठाना चाहता हूं। वर्ना हमें आप को दुखी करने में और खुद दुखी होने में कोई मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों के बारे में दुखी न हों।

मैं बताना चाहता हूं कि अनाज के सवाल पर अरबों रुपयों का डाका तीन चार दिनों में पंजाब के किसानों पर पड़ा है। शायद मानसिंह ने, डाकुओं के गिरोहों ने भी पिस्तौल से इस तरह डाके नहीं डाले, जिस तरह कि सरकार ने डाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात को बार-बार कहने में जरूर अफ़सोस होता है कि अगर इस तरह से इन सवालों को यहां पर उठाया जाये, तो मैं उन 30, 35, 40 नोटिसिज का जवाब कैसे दे सकता हूं, जोकि रोज आते हैं। जब हमारे सीनियर और पुराने मेम्बर्ज इस तरह खड़े हो कर इन सवालों को उठाते हैं, तो दूसरों को भी मना नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में सब मेम्बर साहबान ये सवाल उठायेंगे और अगर हर एक मेम्बर के नोटिस का जवाब देना हो, तो 30, 35, 40 नोटिसिज के लिए रोजाना दो ढाई घंटे खर्च करने होंगे।

अगर हाउस चाहे कि वही कार्यवाही करे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हर एक नोटिस जो हैं वह मैं हाउस में रखता जाऊंगा और हाउस .....

श्री मधु लिमये : पुराने और नये का का क्या मतलब है? राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं और उन पर फैसला होना चाहिये। उन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिये। मैं आप के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन हमारा भी ख्याल करें। आखिर हम यहां काहे को आये हैं?

Shri Sonavane (Pandharpur): How can the Members go on speaking when you are on your legs?

श्री मधु लिमये : फिर आप ही क्यों खड़े हो जाते हैं?

श्री बागड़ी : सीनियर और जूनियर का क्या मतलब है?

Mr. Speaker: Whoever he might be, whether this side or that side, when I am on my legs, no Member should speak. फिर आप बिना इजाजत खड़े हो रहे हैं।

श्री बागड़ी : सीनियर और जूनियर का क्या मतलब है?

अध्यक्ष महोदय : आप भी सीनियर हैं। आप भी नेता हैं और दूसरे ग्रुप के भी नेता हैं .....

श्री मधु लिमये : फिर आप नेता कहिये।

श्री बागड़ी : नेता कहिये :

अध्यक्ष महोदय : आप को भी मैं सीनियर कहता हूं और समझता हूं, इसलिये कि आप भी एक ग्रुप के नेता हैं ...

श्री बागड़ी : किसी के रहम पर नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से खड़े और बोलते ही चले जायेंगे? यह क्या कभी बन्द होगा या नहीं? बार बार मैं आप को कह चुका हूं और आप बराबर बोलते जा रहे हैं। यह एक लीडर का मामला है। यह भी नहीं है कि किसी एक आदमी का हो। लेकिन हद होती है बरदाश्त की। हर रोज ऐसा चलता है।

श्री बागड़ी : मेरी आवाज से चिढ़ है?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कई बार कहा है और अब फिर दोहराता हूं। यह मैं तो नहीं,

कर सकता हूं कि जो नोटिस दिये जायें उन का जवाब मुझे से यहां हाउस में तलब किया जाए श्री मैं हर एक का जवाब दूं । यह मेरे लिये तो नामुमकिन है । यह जरूर होगा कि कोई मैम्बर महसूस करे कि कोई सावाल ज्यादा महत्ता का है उन के खयाल में और मैं ने उसे नामंजूर कर दिया है । लेकिन उस के लिए मैं ने कई बार कहा है कि वह मुझ से आ कर मिल सकता है या मुझ को लिख कर भेज सकता है और मैं दुबारा गौर करने को तैयार हूं । कई बार मैं ने ऐसा किया है । अगर यह कहा जाए जैसे मधु लिमये साहब ने कहा है कि उठाने की इजाजत दी जाए और हाउस चाहे तो मंजूर करे, तब मुझे कोई एतराज नहीं है .....

कुछ माननीय सदस्य : नो

अध्यक्ष महोदय : अगर सिर्फ अपोजीशन ही कह दे कि यह रखा जाए तो भी मैं वैसा करने के लिये तैयार हूं । वोट करते चले जायेंगे और फैसले होते चले जायेंगे .....

श्री बागड़ी : उन को रखा जाए ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): That is not our demand.

अध्यक्ष महोदय : हाउस ने करना है । सिर्फ एक अपोजीशन के मेम्बर की बात को मैं कैसे मान लूं ।

श्री बागड़ी : श्री कपूर सिंह की आवाज से भी नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहें तो मैं वोट ले सकता हूं ।

श्री बागड़ी : जरूर :

अध्यक्ष महोदय : अगर जोर देते हैं तो जो लोग चाहते हैं कि हाउस फैसला करे तो वे अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जायें ।

श्री बाग ी : यह बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते थे कि सारी अपोजीशन मेरे साथ है । जो हैं उन के साथ वे खड़े हो जायें ....

श्री बागड़ी : मैं यह नहीं कह रहा हूं । मैं ने तो यह कहा है कि जो आप के पास आये उस को पढ़ कर आप को सुनाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी नहीं हो सकता है कि मैं पढ़ कर सुनाऊं । मैं ने बहुत दफा कहा है कि जब कोई फैसला हो गया और कई बार हो गया उस को रोज रोज फिर से रेज किया जाए और फिर उस का वही जवाब देता जाऊं और यह सवाल उठता चला जाए यह नहीं होगा । बार बार उसी चीज को उठाया जाए यह नहीं हो सकता है । किसी को कोई शिकायत हो, कोई समझता हो कि सवाल ज्यादा महत्ता का है और वह मेरे पास आना न चाहता हो तो मुझे लिख दे, मैं जरूर विचार करूंगा और जरूरत समझूंगा तो ले लूंगा । लेकिन कोई खड़ा हो कर कहना शरू कर दे तो इस को मैं नहीं सुन सकता हूं ।

12.34 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER SECTION 38 OF PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (4) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960:

(i) The Prevention of Cruelty to Animals (Licensing of Farriers) Rules 1965, published in Notification No. S.O. 1043 dated the 3rd April, 1965.

(ii) The Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals